



**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए एअर इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।**

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए एअर इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। सांविधिक लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विहित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी दिनांक 14 अक्टूबर 2016 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया हुआ कहा गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एअर इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षाओं के दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से की गई जो सांविधिक लेखा-परीक्षाओं की इन्क्वायरी और कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखा खातों की सीमित जांच-पड़ताल पर आधारित थी। अपनी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आए हैं तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने के लिए आवश्यक है।

**लाभप्रदता पर टिप्पणी**

**लाभ तथा हानि का विवरण**

**IV व्यय**

**मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय – 18,677.8 मिलियन रुपए (नोट-20)**

- (i) इसमें निपटान के लिए अंतरित तथा रखी गई परिसंपत्ति के 09 विमानों के मूल्यहास (20 वर्षों की औसत आयु को देखते हुए) के 3064.34 मिलियन रुपए की राशि सम्मिलित नहीं है।

अतः इन 09 विमानों के लिए मूल्यहास का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप 3064.34 मिलियन रुपए की राशि का 'मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय' कम दर्शाया गया तथा निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों को अधिक दर्शाया गया। इसके फलस्वरूप समान राशि की 'वर्ष में हानि' भी कम दर्शायी गई।

- (ii) कंपनी द्वारा लीज पर ली गई भूमि के परिशोधन जो स्थायी पट्टे पर नहीं थी, के लिए 140.1 मिलियन रुपयों की राशि को पुनरांकित किया गया। इसके परिणामस्वरूप मूल्यहास को कम दर्शाया गया तथा 140.1 मिलियन रुपयों की हानि को कम दर्शाया गया।

**वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी**

**इक्विटी एवं देयताएं**

**चालू देयताएं**

**अल्पकालिक प्रावधान (नोट 6) – 2081.20 मिलियन रुपए**

इसमें क्रमशः वर्ष 2015-16 तथा 2014-15 के दौरान एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएटीएसएल) के साथ राजस्व भागीदारी में वर्ष 2015-16 के लिए 14.5 की दर से लागू सेवा कर के 75.59 मिलियन रुपए की राशि तथा वर्ष 2014-15 के लिए लागू सेवा कर की 76.78 मिलियन रुपए की राशि (12 प्रतिशत की दर से) सम्मिलित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 152.37 मिलियन रुपयों की राशि के अल्पकालिक प्रावधान को कम दर्शाया गया है तथा 75.59 मिलियन रुपयों की राशि के अन्य व्यय तथा 76.78 मिलियन रुपयों की राशि के पूर्वावधि समायोजन (निवल) को कम दर्शाया गया है। इसके फलस्वरूप वर्ष की हानि के 152.37 मिलियन रुपयों को कम दर्शाया गया।



## परिसंपत्तियां

### गैर चालू परिसंपत्तियां

स्थिर परिसंपत्तियां – 291,269.70 मिलियन रुपए

नोट 8 – अन्य स्थिर परिसंपत्तियां – 3345.3 मिलियन रुपए

इसमें बी-777 विमान की भारी अनुरक्षण जांच तथा संबद्ध वर्कशाप संबंधी क्रियाकलापों को करने के लिए नागपुर में एमआरओ एयरफ्रेम सुविधा के प्रचालन के लिए खरीदे गए 468.3 मिलियन रुपए के उपकरण सम्मिलित नहीं हैं।

इसके परिणामस्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों – वर्कशाप उपस्कर एवं उपकरण को कम दर्शाया गया है तथा चालू पूंजीगत कार्य मद में 468.3 मिलियन रुपए अधिक दर्शाए गए हैं।

### वित्तीय विवरण के भाग के रूप में टिप्पणी

#### स्थिर परिसंपत्ति (नोट-27)

उपरोक्त नोट दर्शाता है कि “भूमि(फ्रीहोल्ड/पट्टे पर) तथा भवन में 76,463.50 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 75,926.50 मिलियन रुपए) का सकल ब्लॉक सम्मिलित है जिसके लिए पंजीकरण औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं।

यद्यपि इसमें बताया गया है कि कुछ मामलों में टाइटल डीड कंपनी के कब्जे में नहीं है, तथापि वसंत विहार में स्टाफ हाउसिंग कालोनी के लिए भूमि की लीज़ डीड का रद्दकरण तथा खजुराहो में हाउसिंग कालोनी के लिए भूमि संबंधी लीज़ डीड की समाप्ति का खुलासा नहीं किया गया है। भोपाल में बुकिंग ऑफिस के लिए भूमि तथा वाराणसी में भूमि संबंधी लीज़ डीड रिकार्ड में नहीं पाई गई।

इन भूमि की लीज़ डीड की समाप्ति तथा रद्दकरण का खुलासा नहीं करना उस सीमा तक नोट की अपूर्णता को दर्शाता है।

#### गोइंग कंसर्न (नोट – 51)

इस संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित ‘क्वालीफाइड ओपिनियन के आधार’ की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार 2015-16 के लिए प्रचालनात्मक लाभ 1047.4 मिलियन रुपए तक कम हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, प्रचालनात्मक लाभ 3216.71 मिलियन रुपए और कम हो जाएगा।

उक्त टिप्पणियों के निवल प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 के लिए एअर इंडिया लि. की प्रचालनात्मक हानि 3214.11 मिलियन रुपए होगी।

## अन्य

### महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

स्थिर परिसंपत्तियां : भाग ग के पैरा 1 के तहत नोट – 'v'

(i) “विक्रय के लिए परिसंपत्ति” के संबंध में एआईएल की लेखाकरण नीति में “विक्रय करने के इरादे से रखी गई परिसंपत्तियों” को लिया गया है, जिसमें परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य को स्थिर परिसंपत्ति के ब्लॉक से विक्रय के लिए रखी परिसंपत्ति में अंतरित कर दिया है...।

इस संबंध में लेखाकरण मानक-10 (स्थिर परिसंपत्तियों के लिए लेखाकरण) के पैरा 14.2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार स्थिर परिसंपत्तियों की जिन मदों को एक्टिव यूज से हटा दिया जाता है तथा निपटान के लिए रख दिया जाता है, को उनके निवल बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य के नीचे दिया जाता है।

इस प्रकार “विक्रय के लिए परिसंपत्तियों” के संबंध में एआईएल की लेखाकरण नीति लेखाकरण मानक-10 (स्थिर परिसंपत्तियों के लेखाकरण) के अनुरूप नहीं है।



**मूल्यहास तथा परिशोधन : भाग ग के पैरा 2 के तहत नोट 'क' (ii)**

एआईएल 'रोटेबल' तथा अन्य स्थिर परिसंपत्ति के संबंध में उनके अधिग्रहण के वर्ष में पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास उपलब्ध कराती है किंतु निपटान के वर्ष में कोई मूल्यहास नहीं उपलब्ध कराती।

यह कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची – II के नोट-2 के अनुरूप नहीं है।

**इनवेंटरी : भाग ग के पैरा 4 के तहत नोट (i)**

इस नोट के अनुसार इनवेंटरियों का मूल्य भारित औसत लागत के अनुसार लगाया जाता है। तथापि एएस-2 के अनुसार इनवेंटरियों का मूल्य लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, के अनुसार लगाया जाना चाहिए। अतः इनवेंटरी नीति में एएस-2 का अनुपालन नहीं किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  
के लिए एवं उनकी ओर से

तनुजा मितल  
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा  
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-II, मुंबई

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 19 दिसंबर, 2016



31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए एअर इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंध वर्ग के उत्तर।

लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग के उत्तर
<p>लाभ तथा हानि का विवरण IV व्यय मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय – 18,677.8 मिलियन रुपए (नोट-20)</p> <p>(i) इसमें निपटान के लिए अंतरित तथा रखी गई परिसंपत्ति के 09 विमानों के मूल्यह्रास (20 वर्षों की औसत आयु को देखते हुए) के 3064.34 मिलियन रुपए की राशि सम्मिलित नहीं है।</p> <p>अतः इन 09 विमानों के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप 3064.34 मिलियन रुपए की राशि का 'मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय' कम दर्शाया गया तथा निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों को अधिक दर्शाया गया। इसके फलस्वरूप, समान राशि की 'वर्ष में हानि' भी बढ़ जाएगी।</p> <p>(ii) कंपनी द्वारा लीज़ पर ली गई भूमि के परिशोधन जो स्थायी पट्टे पर नहीं थी, के लिए 140.1 मिलियन रुपयों की राशि को पुनरांकित किया गया। इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास को कम दर्शाया गया तथा 140.1 मिलियन रुपयों की हानि</p>	<p>ये नौ विमान विक्रय हेतु रखी गई गैर-चालू परिसम्पत्तियों के रूप में लेखाबद्ध किए गए हैं जिसमें कंपनी किसी गैर-चालू परिसम्पत्ति (अथवा निपटान समूह) को विक्रय हेतु रखी गई वस्तु के रूप में वर्गीकृत कर सकती है जिसमें कैरिंग अमाउंट को मुख्यतः सतत उपयोग माध्यम की अपेक्षा विक्रय लेन-देन के माध्यम द्वारा वसूल किया जाएगा।</p> <p>कंपनी को किसी गैर-चालू परिसम्पत्ति, जबकि उसे विक्रय हेतु रखी वस्तु के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है अथवा वह विक्रय हेतु रखी वस्तु के रूप में वर्गीकृत किसी निपटान समूह का भाग हो, का मूल्यह्रास (अथवा अमोरटाइज) करने की आवश्यकता नहीं है। विक्रय हेतु रखी गई वस्तु के रूप में वर्गीकृत किसी निपटान समूह की देयताओं में वहन किए जाने योग्य ब्याज एवं अन्य व्ययों की पहचान की जानी जारी रहेगी।</p> <p>उल्लेखनीय है कि केवल स्थिर परिसम्पत्तियों के लिए ही मूल्यह्रास प्रदान किया जाएगा और बिक्री योग्य अन्य चालू परिसम्पत्तियों पर नहीं। अतः विक्रय हेतु रखे गए विमानों और गैर-चालू परिसम्पत्तियों के रूप में वर्णित वस्तुओं पर मूल्यह्रास की आवश्यकता नहीं है। इस मत की पुष्टि सशोधित एएस 10 पैरा सं0 57 के द्वारा भी की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निपटान हेतु रखी गई परिसम्पत्तियों पर कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाएगा।</p> <p>चूंकि 9 बी 787-800 विमानों की एसएलबी 31 मार्च, 2016 से पहले की जानी अनिवार्य कर दी गई थी और वास्तविक लेनदेन तुलन पत्र की तिथि के बाद और 2015-16 के वार्षिक लेखों पर हस्ताक्षर होने से पहले कर लिया गया था, इसलिए उन्हें 31 मार्च, 2016 को निपटान हेतु रखी गई परिसम्पत्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया है और इनके लिए बहियों में कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि परिसम्पत्तियों की बिक्री, अर्जन की लागत से अधिक मूल्य की, की गई थी, इसलिए प्रदान किए गए मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को अगले वर्ष अर्थात् 2016-17 में पुनरांकित करना होगा जो वित्त वर्ष 2016-17 में पी एंड एल की स्थिति को पुनः प्रभावित करेगा।</p> <p>एएस-6 के अनुसार – "मूल्यह्रास लेखांकन भूमि, जब तक उद्यम के लिए इसकी सीमित उपयोगी मियांद पूरी नहीं हो जाती, को छोड़कर सभी मूल्यह्रास योग्य परिसम्पत्तियों पर लागू होता है।"</p> <p>यदि पट्टे की अवधि 99/45 वर्ष की है और इसे अगली अवधियों के लिए नवीनीकृत कराया जा सकता है, तो यह नहीं</p>



लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग के उत्तर
<p>को कम दर्शाया गया।</p> <p><b>इक्विटी एवं देयताएं</b>  <b>चालू देयताएं</b>  <b>अल्पकालिक प्रावधान (नोट 6) 2081.20 मिलियन रुपए</b></p> <p>इसमें क्रमशः वर्ष 2015-16 तथा 2014-15 के दौरान एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएटीएसएल) के साथ राजस्व भागीदारी में वर्ष 2015-16 के लिए 14.5 की दर से लागू सेवा कर के 75.59 मिलियन रुपए की राशि तथा वर्ष 2014-15 के लिए लागू सेवा कर की 76.78 मिलियन रुपए की राशि (12 प्रतिशत की दर से) सम्मिलित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 152.37 मिलियन रुपयों की राशि के अल्पकालिक प्रावधान को कम दर्शाया गया है तथा 75.59 मिलियन रुपयों की राशि के अन्य व्यय तथा 76.78 मिलियन रुपयों की राशि के पूर्वावधि समायोजन (निवल) को कम दर्शाया गया है। इसके फलस्वरूप वर्ष की हानि के 152.37 मिलियन रुपयों को कम दर्शाया गया।</p> <p><b>परिसंपत्तियां</b>  <b>गैर चालू परिसंपत्तियां</b>  <b>स्थिर परिसंपत्तियां – 291,269.70 मिलियन रुपए</b>  <b>नोट 8 – अन्य स्थिर परिसंपत्तियां – 3345.3 मिलियन रुपए</b></p> <p>इसमें बी 777 विमान की भारी अनुरक्षण जांच तथा संबद्ध वर्कशाप संबंधी क्रियाकलापों को करने के लिए नागपुर में एमआरओ एयरफ्रेम सुविधा के प्रचालन के लिए खरीदे गए</p>	<p>माना जा सकता कि पट्टा सीमित अवधि के लिए है। इसके अतिरिक्त, यह पट्टा सरकार (पट्टादाता) से एक सरकारी कंपनी (पट्टेदार) को दी जाती है अतः दोनों के हित में, ऐसी कोई संभावना ही नहीं है कि पट्टादाता पट्टे के नवीकरण के लिए सहमत न हो और इसका अर्थ यह है कि पट्टे की अवधि 100 वर्षों से अधिक हो सकती है, अतः भूमि का मूल्यहास करने की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप भूमि और भवन के संयुक्त मूल्य से भूमि को पृथक करके पिछले वर्षों में मूल्यहास के लिए प्रावधान पहले ही कर दिया गया है। अतः यह पुनरांकन सही है और इसलिए कम मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है।</p> <p>तथापि, वर्ष के लिए कंपनी के समग्र प्रचालनों/हानि के संबंध में यह राशि मैटेरियल नहीं है।</p> <p>नोट कर लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई 2016-17 में की जाएगी।</p> <p>तथापि, यह उल्लेखनीय है कि जिस पार्टी को सेवा प्रदान की गई है उससे सेवाकर प्राप्य है और जब भी सरकार को इसका भुगतान किया जाएगा इसे वसूल कर लिया जाएगा। इस प्रकार, हानि की स्थिति किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी।</p> <p>टूल्स इनवॉयसों का मिलान बोइंग के इनवॉयसों के साथ किया जाना है और नागपुर का परियोजना प्रबंधन कंसलटेंट सीबीआरई पूंजीकृत किए जाने वाले टूल्स की सूची को अंतिम रूप देगा क्योंकि कुछ टूल्स राजस्व और पूंजीगत प्रकृति के हैं</p>



लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग के उत्तर
<p>468.3 मिलियन रुपए के उपकरण सम्मिलित नहीं हैं।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों – वर्कशाप उपस्कर एवं उपकरण को कम दर्शाया गया है तथा चालू पूंजीगत कार्य मद में 468.3 मिलियन रुपए अधिक दर्शाए गए हैं।</p> <p><b>वित्तीय विवरण का भाग के रूप में टिप्पणियां स्थिर परिसंपत्ति (नोट-27)</b></p> <p>उपरोक्त नोट दर्शाता है कि “भूमि(फ्रीहोल्ड/पट्टे पर) तथा भवन में 76,463.50 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 75,926.50 मिलियन रुपए) का सकल ब्लॉक सम्मिलित है जिसके लिए पंजीकरण औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं।</p> <p>यद्यपि इसमें बताया गया है कि कुछ मामलों में टाइटल डीड कंपनी के कब्जे में नहीं है, तथापि वसंत विहार में स्टाफ हाउसिंग कालोनी के लिए भूमि की लीज़ डीड का रद्दकरण तथा खजुराहो में हाउसिंग कालोनी के लिए भूमि संबंधी लीज़ डीड की समाप्ति का खुलासा नहीं किया गया है। भोपाल में बुकिंग ऑफिस के लिए भूमि तथा वाराणसी में भूमि संबंधी लीज़ डीड रिकार्ड में नहीं पाई गई।</p> <p>इन भूमि की लीज़ डीड की समाप्ति तथा रद्दकरण का खुलासा नहीं करना उस सीमा तक नोट की अपूर्णता को दर्शाता है।</p> <p><b>गोइंग कंसर्न (नोट – 51)</b></p> <p>इस संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित “क्वालीफाइड ओपिनियन के आधार” की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार, 2015-16 के लिए प्रचालनात्मक लाभ 1047.4 मिलियन रुपए तक कम हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, प्रचालनात्मक लाभ 3216.71 मिलियन रुपए और कम हो जाएगा।</p> <p>उक्त टिप्पणियों के निवल प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 के लिए एअर इंडिया लि. की प्रचालनात्मक हानि 3214.11 मिलियन रुपए होगी।</p>	<p>और केवल पूंजीगत प्रकृति के टूल्स ही पूंजीकृत किए जाएंगे। इसके अलावा, 2015-16 में सभी टूल्स इस्तेमाल नहीं किए गए हैं और इस प्रकार पूंजीकरण 2016-17 में मिलान के बाद कराया जाएगा।</p> <p>किसी भी स्थिति में, वर्ष के लिए कंपनी के समग्र प्रचालनों/हानि के संबंध में यह राशि मैटेरियल नहीं है।</p> <p>लेखा टिप्पणियों के नोट सं0 27 के द्वारा यह उल्लेखनीय है कि, मैटेरियलिटी कान्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संपत्तिवार विवरण देने, जिनके लिए पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी की जानी शेष हैं, की अपेक्षा कुल भूमि और भवनों के मूल्य के संबंध में, जिनके लिए पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी की जानी शेष हैं, का उचित प्रकटन कर दिया गया है क्योंकि प्रत्येक संपत्ति का ऐसा प्रकटन कंपनी के व्यवसाय के हित में नहीं होता। इसके अतिरिक्त यह भी प्रकटन किया गया है कि कुछ मामलों में टाइटल डीड्स कंपनी के पास नहीं है।</p> <p>तदनुसार, गैर-पंजीकृत संपत्तियों के संबंध में लेखों में पर्याप्त प्रकटन किया गया है अतः इस संबंध में टिप्पणियां अपूर्ण नहीं है।</p> <p>उल्लेखनीय है कि ‘मामले का महत्त्व’ में लेखा परीक्षकों द्वारा ध्यान आकृष्ट कराने को क्वालीफाइड मत नहीं कहा जा सकता है।</p> <p>वास्तव में, कंपनी ने वर्ष 2015-16 में प्रचालनात्मक तथा वित्तीय दोनों स्तरों पर बेहतर निष्पादन किया है। कंपनी द्वारा तैयार किए गए लेखों के अनुसार, कंपनी को 1,050.0 मिलियन रुपए का प्रचालनात्मक लाभ हुआ है जो पिछले वर्ष की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है।</p>



लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग के उत्तर
<p><b>अन्य</b> <b>महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां</b> <b>स्थिर परिसंपत्तियां : भाग ग के पैरा 1 के तहत नोट –'v'</b></p> <p>(i) “विक्रय के लिए परिसंपत्ति” के संबंध में एआईएल की लेखाकरण नीति में “विक्रय करने के इरादे से रखी गई परिसंपत्तियों” को लिया गया है, जिसमें परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य को स्थिर परिसंपत्ति के ब्लॉक से विक्रय के लिए रखी परिसंपत्ति में अंतरित कर दिया है....।</p> <p>इस संबंध में लेखाकरण मानक-10 के पैरा 14.2 (स्थिर परिसंपत्तियों के लिए लेखाकरण) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार स्थिर परिसंपत्तियों की जिन मदों को एक्टिव यूज से हटा दिया जाता है तथा निपटान के लिए रख दिया जाता है, को उनके निवल बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य के नीचे दिया जाता है।</p> <p>इस प्रकार “विक्रय के लिए परिसंपत्तियों” के संबंध में एआईएल की लेखाकरण नीति लेखाकरण मानक-10 (स्थिर परिसंपत्तियों के लेखाकरण) के अनुरूप नहीं है।</p> <p><b>मूल्यहास तथा परिशोधन : भाग ग के पैरा 2 के तहत नोट 'क' (ii)</b></p> <p>एआईएल 'रोटेबल' तथा अन्य स्थिर परिसंपत्ति के संबंध में उनके अधिग्रहण के वर्ष में पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास उपलब्ध कराती है किंतु निपटान के वर्ष में कोई मूल्यहास नहीं उपलब्ध कराती।</p> <p>यह कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची – II के नोट-2 के अनुरूप नहीं है।</p>	<p>जैसाकि नोट में उल्लेख किया गया है कि प्रचालनात्मक लाभ की गणना कुल राजस्व से कुल व्यय (जिसमें वित्तीय लागत सम्मिलित नहीं है) घटाकर की गई है। प्रचालनात्मक लाभ का निर्धारण ब्याज पूर्व आय (ईबीआईटी) तथा 18,677.8 मिलियन रुपए के मूल्यहास के लिए प्रावधान के बाद किया गया है।</p> <p>किसी भी स्थिति में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि एअर इंडिया एक गोइंग कन्सर्न है।</p> <p>उपर्युक्त पॉलिसी की शब्दावली ऐसी रखी गई है क्योंकि एक बार इसे इसके निवल खाता मूल्य से कम वाली स्थिर परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिए जाने पर एआई की मंशा हाल ही में क्रय की गई स्थिर परिसंपत्तियों को बेचने की नहीं है।</p> <p>अतः यह कथन लेखाकरण पॉलिसी में निहित अर्थ के फ्रेमवर्क के दायरे में है जैसाकि लेखाकरण मानक 10 के पैरा 14.2 में कहा गया है।</p> <p>कंपनी द्वारा यह पॉलिसी प्रतिवर्ष निरंतर रूप से अपनाई जा रही है और इसे लेखों में प्रकट कर दिया गया है।</p> <p>तथापि पूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान, अर्जन के मामले में भी, वर्ष के दूसरे भाग में और गैर प्रावधान निपटान वर्ष में किया गया है ताकि दोनों के एक-दूसरे के बराबर होने की संभावना बनी रहे, अतः वास्तव में इसके मूल्यहास की मात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।</p>



लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग के उत्तर
<p><b>इनवेंटरी : भाग ग के पैरा 4 के तहत नोट (i)</b></p> <p>इस नोट के अनुसार इनवेंटरियों का मूल्य भारित औसत लागत के अनुसार लगाया जाता है। तथापि एएस-2 के अनुसार इनवेंटरियों का मूल्य लागत या निवल वसूलीयोग्य मूल्य जो भी कम हो, के अनुसार लगाया जाना चाहिए। अतः इनवेंटरी नीति में एएस-2 का अनुपालन नहीं किया गया है।</p>	<p>एएस 2 के पैरा 3.2 में निवल वसूलीयोग्य मूल्य की दी गई परिभाषा के अनुसार, "निवल वसूलीयोग्य मूल्य सामान्य रूप में वह अनुमानित बिक्री मूल्य है जिसमें से कम्पलेशन की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत में से घटा दिया जाता है।</p> <p>परिभाषा से यह देखा जा सकता है कि "इनवेंटरी का निवल वसूलीयोग्य मूल्य सामान्य रूप में बेची जाने वाली इनवेंटरी है।"</p> <p>तथापि, एअर इंडिया के मामले में, इनवेंटरी में मुख्य रूप से विमान के पार्ट्स, कन्ज्यूमेबल्स और एक्सपेंडेबल्स सम्मिलित हैं जो सामान्य रूप से बिक्री के लिए नहीं हैं अपितु केवल आंतरिक उपभोग के लिए हैं इसलिए इन्हें केवल भारित मूल्य पर आंका गया है।</p> <p>चूंकि इनवेंटरी में विक्रय हेतु 'फिनिशड गुड्स' जैसी कोई इनवेंटरी सम्मिलित नहीं है, इसलिए 'रियलाइजेबल वेल्थ' शब्द को हटा दिया गया है क्योंकि न्यूनतम लागत पर मूल्यांकन अथवा निवल वसूलीयोग्य मूल्य का प्रश्न केवल तभी होगा जब कुल इनवेंटरियों में विक्रय वाली वस्तुएं सम्मिलित होंगी।</p> <p>अतः इनवेंटरी के मूल्यांकन की पॉलिसी को उपयुक्त रूप से प्रकट किया गया है।</p>